अपील सूचना अधिकार संख्या 27/2020 (GCMS 2020/00042) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (46F-988789) बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2019 के द्वारा आठ बिन्दु की सूचना चाही थी जो उनके द्वारा उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्रांक दिनांक 19.03.2019 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर.आर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर (उपरोक्त पर) कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. पत्र प्राप्ति से दिनांक 30.12.2019 तक जो जो कार्यवाही की गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
4. उपरोक्त पत्र पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाने हेतु जिस–जिस अधिकारी को आदेशित किया, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
5. एफ.आई.आर. दर्ज करवाने वाले अधिकारी द्वारा जो जवाब दिया गया उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

6. आपके पत्रांक 650—652 दिनांक 05.04.2019 पर कोषाधिकारी द्वारा आपके आदेश की पालना में एफ.आई.आर. दर्ज जिस अधिनियम व नियम की पालना में नहीं की है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
7. कोषाधिकारी पर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश की पालना न करने, अवहेलना करने पर आप द्वज्ञरा कोषाधिकारी के विरूद्व दिनांक 30.12.2019 तक जो—जो कार्यवाही की गई है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
8. स्टाम्प वेण्डर के विरूद्ध कार्यवाही करने में लगने वाले समय की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक पंजीयन/2019/13 दिनांक 08.01.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया हैः

उपरोक्त विषयान्र्तगत एवं प्रासंगिक पत्र में लेख है कि आप द्वारा इस कार्यालय में आवेदन पत्र 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 30.12.2019 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमें आप द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 8 तक सूचना चाही गई है। अतः इस हेतु सूचना देने से पूर्व निर्धारित 2/— प्रति पृष्ठ शुल्क से कुल पृष्ठ 20 के हिसाब से 40/— रूपये शुल्क आप इस कार्यालय में कार्यदिवस में जमा करवायें जिससे आपको वांछित सूचना भिजवायी जा सके।

प्रभारी अधिकारी पंजीयन
एवं अति. जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त जवाब के पश्चात प्रार्थी ने दिनांक 14.01.2020 **को प्रार्थना पत्र पर किया जिसका जवाब** प्रभारी अधिकारी पंजीयन ने अपीलार्थी को दिनांक 29.01.2020 को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र से आप द्वारा इस कार्यालय से आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 8 तक बिन्दुवार पृष्ठ एवं राशि का विवरण चाहा गया था, जो निम्नानुसार है :
>
> बिन्दु सं. 1 – एक पृष्ठ
> बिन्दु सं. 2 – शून्य
> बिन्दु सं. 3 – सोलह पृष्ठ (पत्र मय नोटशीट)
> बिन्दु सं. 4 – दो पृष्ठ (पत्र मय नोटशीट)
> बिन्दु सं. 5 – एक पृष्ठ
> बिन्दु सं. 6 से 8 – शून्य
>
> सूचना प्रेषित है।
>
> प्रभारी अधिकारी पंजीयन
> एवं अति. जिला कलक्टर
> श्रीगंगानगर

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध **में भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 10 जुलाई 2008 अवलोकनीय** है जिसमें निम्न प्रकार से अंकित किया गया है :

> **सूचना और सूचना का अधिकार की परिभाषा का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री से नोट लेने, सामग्री का उद्धरण**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अथवा प्रमाणित प्रतियां लेने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया हो। अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से ये अपेक्षित नही है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हो। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं हैं।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 08.01.2020 एवं 29.01.2020 के पत्रों से जवाब दिया जा चुका है जो सही है। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में शुल्क जमा नहीं करवाई है जो जमा कर प्रार्थी वांछित सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार लोक चूना अधिकारी द्वारा उक्त दिनांक 08.01.2020 एवं 29.01.2020 के पत्रों से दिये गये जवाब में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर